



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 25.01.2024

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि(3 वर्ष 6 माह) व कुल 3000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-92/2020 धारा 457,380,411 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त राजेश उर्फ माइकल पुत्र राजेन्द्र हरिजन निवासी – हनुमानपुर, थाना-मुगलसराय, जनपद-चन्दौली को प्रभारी निरीक्षक सारनाथ व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट-॥ जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (03 वर्ष 06 माह) के कारावास व कुल 3000/- रू0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी